न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 72 / 2022

श्री विक्रमसिंह मीना, पता– RZ –E- 65 Dabri Extemsopm, New Delhi - 110045

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग,कलक्ट्रेट (ए.डी.एम. शहर) भरतपुर

............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

———

आदेश **दिनांक 22.09.2022**

अपीलार्थी श्री विक्रमसिंह मीना, पता– RZ – E- 65 Dabri Extemsopm, New Delhi – 110045 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए. डी.एम.शहर) भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.6. 2022 से लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 667 दिनांक 2.9.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / न्याय / सु.अधि. / 2022 / 527 दिनांक 14.9.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिन्दु संख्या 1,2व 3 की सूचना अपूर्ण एवं बिन्दू संख्या 4,5व 6 की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम. शहर) भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ न्याय/सु.अधि./2022/527 दिनांक 14.9.2022 का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई 06 बिन्दूओं की सूचना जरिये पत्र क्रमांक न्याय/सु.अधि./2022/472 दिनांक 3.8.2022 से उनके पते पर भिजवा दी गई है। अपीलार्थी के आर.टी. आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 16.6.2022 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी ने 06 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी ने कार्यालय में संधारित रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करादी गई है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम. शहर) भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर